

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

वीतासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:-154/12

दायरे दिनांक:- 23.10.12

जीसीएमएस नं. 2012/00357

उनवान

विरमा पुत्री चौधी जाति माली निवासी गोला का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

फूलसिंह पुत्र कंवरपाल जाति माली निवासी हजरिया की कोठी तहसील हिण्डौन
जिला करौली

—गैरसायलान-05

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी, आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 09.11.12 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 154/12 विरमा बनाम फूलसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली